

Haryana Agro Industries Corporation Ltd. v. 603
State of Haryana & others (G.S. Singhvi, J.)

प्रतिवादीगण द्वारा फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि, खंड (सी) से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने प्रस्ताव को एक पखवाड़े तक बढ़ाने की शक्ति सुरक्षित रखी थी। यह अवधि 10 जुलाई, 1999 को समाप्त हो गई थी। समय के किसी भी और विस्तार का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि धन की वसूली के लिए नागरिक के अधिकारों को खतरे में न डाला जाए। अवसर के बावजूद, प्रतिवादीगण ने यह दिखाने के लिए मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है कि तार वास्तव में 12 जुलाई, 1999 को भेजा गया था। इसके अलावा, यह स्वीकृत स्थिति है कि निविदाएं 12 मई, 1999 को खोली गई थीं। जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, यह जवाब दावा के पैरा 7 में प्रतिवादी का अपना मामला है कि "12 जुलाई, 1999 वह तारीख थी जिस पर याचिकाकर्ता की निविदा स्वीकृति के लिए खोली गई थी।" मामले की परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी से इनकार करना असमान और अन्यायपूर्ण होगा।

(25) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(26) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाता है। रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। यह निर्देश दिया जाता है कि रु. 2,60,000 की राशि का इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त समय के भीतर राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, याचिकाकर्ता 1 अगस्त, 1999 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ राशि का हकदार होगा। इन परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और निर्मल सिंह के समक्ष, जे. जे.

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

C.W.P. No. 12124 of 2000

18 मई, 2001

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973- धारा 31 और 40- 'पलायन मूल्यांकन' के मामले में मूल्यांकन आदेशों के संशोधन के लिए धारा 40 के तहत कार्यवाही शुरू करने वाला पुनरीक्षण प्राधिकरण-धारा 40 (1)

पुनरीक्षण प्राधिकरण को किसी भी कार्यवाही या किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए लंबित कार्यवाही या तय किए गए मामलों के रिकॉर्ड के लिए स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देता है-पुनरीक्षण प्राधिकरण निर्धारण प्राधिकरण के आदेशों में किसी भी अवैधता या अनुचितता का संकेत दिए बिना कार्रवाई कर रहा है-'पलान मूल्यांकन' का मामला निर्धारण प्राधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है-पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश जो निर्धारण आदेशों का पुनरीक्षण करते हैं, धारा 40 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 के तहत, निर्धारण प्राधिकरण पुनर्मूल्यांकन कर सकता है यदि उसे पता चलता है कि किसी व्यापारी के व्यवसाय के कारोबार का मूल्यांकन कम किया गया है या मूल्यांकन से बचा हुआ है। धारा 40 के तहत आयुक्त को लंबित कार्यवाहियों या अंतिम आदेश की वैधता और/या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए लंबित कार्यवाहियों या तय किए गए मामलों के रिकॉर्ड की मांग करने की शक्ति का उपयोग 'पलायन मूल्यांकन' के मामले से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता है जो कि मूल्यांकन प्राधिकरण का अनन्य संरक्षण है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 40 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर थे और केवल उसी आधार पर विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 40 (1) में प्रयुक्त 'वैधता या औचित्य' अभिव्यक्ति सभी प्रकार की अवैधताओं और अनियमितताओं को अपने दायरे में ले लेगी, जो निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों में हो सकती हैं या जिन्होंने अंतिम निर्णय को प्रभावित किया हो सकता है, लेकिन यह छूट गए मूल्यांकन के मामलों को अपने दायरे में नहीं ले सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में निर्धारण प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कोई मूल्यांकन/निर्णय नहीं होता है।

(पैरा 15)

आर. पी. साहनी, वरिष्ठ अधिवक्ता, किशन सिंह के साथ याचिकाकर्ता के वकील।

जसवंत सिंह, उप महाधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी, जे.

यह उप आबकारी और कराधान आयुक्त (1) एवं प्राधिकरण, कमल (उत्तरदाता न. 2) द्वारा पारित अनुबंध पी3, पी3/ए और पी3/बी आदेशों और आदेश अनुलमक पी4, दिनांक 6 अगस्त, 1999 को बिक्री कर न्यायाधिकरण 1, हरियाणा (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) द्वारा पारित किया गए रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए एक याचिका है।

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार का एक उपक्रम है। यह हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, अधिनियम) के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत एक विक्रेता के रूप में पंजीकृत है। इसने नियत तिथियों पर 1985-86, 1986-87 और 1987-88 वर्षों के लिए विवरणी दाखिल की। निर्धारण प्राधिकरण, पानीपत ने 14 मार्च, 1990 के आदेश अनुलमक पी.1, 31 अक्टूबर, 1991 के पी. 1/ए. और 23 मार्च, 1992 के पी.1/बी. के माध्यम से मूल्यांकन को वित्तपोषित किया। 1985-86 वर्ष के लिए मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लगभग चार वर्षों के बाद, 1986-87 वर्ष के लिए मूल्यांकन को अंतिम रूप देने की तारीख से तीन साल और 1987-88 वर्ष के लिए मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लगभग दो साल बाद, प्रतिवादी न. 2 ने 18 फरवरी, 1994 को

Haryana Agro Industries Corporation Ltd. v. 605
State of Haryana & others (G.S. Singhvi, J.)

अधिनियम की धारा 40 के तहत इस आधार पर मूल्यांकन आदेशों के स्वतः संज्ञान संशोधन का प्रस्ताव करते हुए नोटिस जारी किए कि याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती और सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि मूल्यांकन प्राधिकरण के हाथों कर के भुगतान से बच गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी न. 2 के अधिकार क्षेत्र को अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि मूल्यांकन आदेश किसी भी अनुचितता या अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं। गुण-दोष के आधार पर, इसने इस बात पर जोर देते हुए नोटिसों का विरोध किया कि तथाकथित भर्ती और सेवाओं को 'बिक्री' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है क्योंकि नकदी या विलंबित भुगतान के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि किसानों को अपने स्वयं के चालकों/श्रमिकों और यांत्रिक कर्मचारियों के साथ उनकी फसलों की कटाई आदि के लिए ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराए गए थे, बिना उन्हें मशीनों को छूने की अनुमति दिए। याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी न. 2 ने अनुबंध एफ 3, पी 3/ए और पी 3/बी आदेश पारित किए और सभी तीन वर्षों के लिए मूल्यांकन आदेशों को पुनरीक्षण किया। अधिनियम की धारा 39 (1) (सी) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपीलों को न्यायाधिकरण द्वारा 6 अगस्त, 1999 (अनुलमक पी 4) के एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 41 के तहत उसके द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को भी न्यायाधिकरण द्वारा 24 अप्रैल, 2000 के एक सामान्य आदेश (अनुलमक पी. 5) द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता ने आदेश अनुलमक पी3, पी3/ए, पी3/बी और पी4 को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:—

1. मूल्यांकन आदेशों का पुनरीक्षण करने के लिए प्रतिवादी न. 2 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अधिनियम की धारा 40 के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी क्योंकि उस धारा के तहत जारी किए गए नोटिसों में निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों में किसी भी अवैधता या अनुचितता की बात नहीं की गई थी और पलायन मूल्यांकन का मामला पुनरीक्षण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

2. प्रत्यर्थी न. 2 द्वारा जारी किया गया नोटिस मूल्यांकन वर्ष 1985-86 के लिए समय-वर्जित था।

3. प्रत्यर्थी न. 2 द्वारा पारित आदेश और न्यायाधिकरण द्वारा पारित अपीलीय आदेश को रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से कानून की दृष्टि से दूषित किया जाता है क्योंकि उनमें से किसी ने भी याचिकाकर्ता की याचिका को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं माना।

4. याचिकाकर्ता को किसानों से एकत्र किए गए भाड़े और सेवा शुल्क के बदले में कर के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, प्रतिवादी न. 2 और न्यायाधिकरण ने उसके द्वारा किए गए संचालन की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा।

(4) प्रतिवादीगण ने यह तर्क देते हुए विवादित आदेशों रक्षा की है कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने मूल्यांकन के आदेश पारित करते समय, भर्ती और सेवा शुल्क के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया था। उनके अनुसार, प्रतिवादी न. 2 द्वारा जारी किए गए नोटिसों में 'अवैधता' या 'अनुचितता' शब्दों की अनुपस्थिति को पुनरीक्षण आदेशों को रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता की गतिविधियाँ 1984 के हरियाणा अधिनियम न. 11 द्वारा संशोधित 'बिक्री' की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।

(5) याचिकाकर्ता के वकील श्री आर. पी. साहनी, वरिष्ठ वकील, ने तर्क दिया कि विवादित आदेशों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी न. 2 के पास इस आधार पर अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था कि याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती और सेवा शुल्क से प्राप्त राशि निर्धारण प्राधिकरण के हाथों कर के उद्ग्रहण से बच गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 40 के तहत शक्ति का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल किसी भी कार्यवाही या उसमें किए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किया जा सकता है, न कि बच गए मूल्यांकन के मामलों से निपटने के लिए। विद्वान वकील ने बताया कि बच गए मूल्यांकन के मामले अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत अंतिम मूल्यांकन आदेश की तारीख से तीन साल के भीतर केवल मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

इसके बाद उन्होंने प्रत्यर्थी न. 2 द्वारा जारी किए गए नोटिसों के विषय का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस आधार पर उक्त प्रत्यर्थी ने मूल्यांकन आदेशों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, वह यह था कि याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती और सेवा शुल्क से प्राप्त राशि निर्धारण प्राधिकरण के कर से बच गई थी, न कि इस आधार पर कि उन आदेशों को किसी अवैधता या अनुचितता से दूषित किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, श्री साहनी ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:—

1. केरल राज्य बनाम के. एम. चेरिया अब्दुल्ला एंड कंपनी (1)
2. हरि चंद रतन चंद एंड कंपनी बनाम उप आबकारी और कराधान आयुक्त (2)
3. कृषि आयकर और बिक्री कर, क्विलियन के उपायुक्त और एक अन्य बनाम धनलक्ष्मी विलास काजू कंपनी (3)
4. बीदर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (4)

(6) हरियाणा के उप महाधिवक्ता श्री जसवंत सिंह ने श्री साहनी की दलीलों का विरोध किया और कहा कि अधिनियम की धारा 40 के तहत जारी किए गए नोटिसों में तथाकथित दोष के आधार पर पुनरीक्षण आदेशों को रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 'पलायन असेसमेंट' के मामले भी उस धारा में उपयोग किए गए वैधता या औचित्य शब्दों द्वारा आच्छादित हैं और इसलिए, मूल्यांकन आदेशों के पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही शुरू करने को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि धारा 3 को संदर्भित अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला बच गए मूल्यांकन में से एक नहीं था, बल्कि मूल्यांकन प्राधिकरण की ओर से उसके द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति को ठीक से समझने में चूक का मामला था और इसलिए, प्रतिवादी न. 2 के पास अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र था।

(7) हमने संबंधित तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है। अधिनियम की धारा 31 और 40, जो

(1965) 16 एसटीसी 875

- (1) (1969) 24 एसटीसी 258
- (2) (1969) 24 एसटीसी 491
- (3) (1985) 58 एसटीसी 65
- (4)

प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों की वैधता से संबंधित मुद्दा के निर्णय पर असर डालती हैं और विवादित आदेश निम्नानुसार हैं:

धारा 31

कर का पुनर्मूल्यांकन

“यदि उसके कब्जे में आई निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप, निर्धारण प्राधिकरण को पता चलता है कि किसी व्यापारी के व्यवसाय के कारोबार का आकलन कम किया गया है, या वह किसी भी वर्ष में मूल्यांकन से बच गया है, तो निर्धारण प्राधिकरण (अंतिम मूल्यांकन आदेश की तारीख से तीन साल के भीतर किसी भी समय) और विक्रेता को निर्धारित तरीके से एक उचित अवसर देने के बाद, या सुनवाई होने के बाद, उस कारोबार पर देय कर का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसका मूल्यांकन कम किया गया है या जो मूल्यांकन से बच गया है।”

धारा 40

पुनरीक्षण

“(1) आयुक्त अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त किसी अधिकारी से पहले लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है, जो उसकी या न्यायाधिकरण के अलावा किसी अन्य निर्धारण प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण की सहायता के लिए किसी भी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में या वहां दिए गए किसी आदेश के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि आदेश की तारीख से पाँच साल की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आदेश का इस तरह से पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि अवधि की उपरोक्त सीमा वहाँ लागू नहीं होगी जहां किसी समान मामले में आदेश का न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पुनरीक्षण किया गया हो:

बशर्ते कि निर्धारित या किसी अन्य व्यक्ति को इस उप-धारा के तहत पुनरीक्षण शक्तियों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और क्षेत्रों के संबंध में उप-धारा (1) के तहत आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारी को प्रदान कर सकती है।

(3) इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है।(नियम 60 देखें)।”

(8) _____ ऊपर उद्धृत प्रावधानों को संयुक्त पढ़ने से यह दिखाई देता है कि जबकि धारा 31 के तहत पुनर्मूल्यांकन की बात करती है, धारा 40 पुनरीक्षण के लिए प्रदान करती है। धारा 31 के तहत, निर्धारण प्राधिकरण उस कारोबार पर देय कर का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है जिसका कम मूल्यांकन किया गया है या जो निर्धारण से बच गया है। इस शक्ति का उपयोग मूल्यांकन को अंतिम रूप देने की तारीख से तीन साल के भीतर और विक्रेता को नोटिस देने और सुनवाई के उचित अवसर के अधीन किया जा सकता है। धारा 40 (1) आयुक्त को किसी कार्यवाही या उसमें किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए धारा 3 (1) के तहत नियुक्त किसी भी अधिकारी से पहले लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए मामले के रिकॉर्ड के लिए स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देती है और उक्त कार्यवाही या आदेश के संबंध में ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार देती है जो वह उचित समझे। इस उपधारा के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए निर्धारित सीमा अवधि आदेश की तारीख से पांच वर्ष है। धारा 40 की उप-धारा 2 राज्य सरकार को किसी भी अधिकारी को उप-धारा (1) के तहत आयुक्त की शक्तियां प्रदान करते हुए अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है। धारा 40 की उप-धारा 3 सुनवाई के नियम के अवतार का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें प्रावधान है कि धारा 40 के तहत कोई भी आदेश किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

(9) धारा 31 और धारा 40 उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि विधानमंडल ने निर्धारण प्राधिकरण और आयुक्त को विभिन्न प्रकार के मामलों से निपटने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं और दोनों धाराओं के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए सीमा की अलग-अलग अवधि निर्धारित की हैं। जबकि निर्धारण प्राधिकरण पुनर्मूल्यांकन कर सकती है यदि उसे पता चलता है कि किसी व्यापारी के व्यवसाय के कारोबार का मूल्यांकन कम किया गया है या मूल्यांकन से बचा हुआ है, तो आयुक्त को किसी कार्यवाही या किसी आदेश की वैधता और/या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए लंबित और साथ ही निर्णय किए गए मामलों के रिकॉर्ड को बुलाने और फिर उचित आदेश पारित करने की शक्ति निहित की गई है। हमारी राय में, दोनों खंडों में अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग स्पष्ट

रूप से अलग-अलग स्थितियों से निपटने के लिए अलग-अलग प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान करने के विधानमंडल के इरादे का संकेत है और इसलिए, एक प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग दूसरे प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, लंबित कार्यवाहियों या अंतिम आदेश की वैधता और/या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए खर्च की गई कार्यवाहियों या तय किए गए मामलों के रिकॉर्ड की मांग करने के लिए आयुक्त में निहित शक्ति का उपयोग बच गए मूल्यांकन के मामले से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता है जो कि निर्धारण प्राधिकरण का अनन्य क्षेत्र है। इसे ध्यान में रखते हुए, हम श्री साहनी से सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रतिवादी न. 2 द्वारा जारी किए गए नोटिस उक्त प्रतिवादी की शक्तियों के विपरीत थे और केवल उसी आधार पर विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

(10) के. एम. चेरिया अब्दुल्ला के मामले में (ऊपर दिए गए) सर्वोच्च न्यायालयके माननीय न्यायमूर्तियों ने मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 की धारा 12 (2) और 19 और मद्रास सामान्य बिक्री कर नियम, 1939 के नियम 14-ए के दायरे पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 की धारा 12 (2) के शब्दों में कहा गया है कि उपायुक्त "उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है" का अर्थ है ऐसा आदेश जो दोष को सुधारने के लिए मामले की परिस्थितियों में उसके द्वारा न्यायसंगत माना जाए। ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति जो पुनरीक्षण प्राधिकारी उचित समझता है, कुछ मामलों में ऐसी आगे की जांच करने या निर्देश देने की शक्ति शामिल हो सकती है जो उपायुक्त को आदेश की अवैधता या अनुचितता या कार्यवाही में अनियमितता को सुधारने के लिए आवश्यक लगे। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करते समय उपायुक्त को सभी मामलों में अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड तक ही सीमित रहना चाहिए और वह कभी भी उस रिकॉर्ड के बाहर जांच नहीं कर सकता है। इसलिए मद्रास सामान्य बिक्री कर नियम, 1939 के नियम 14-ए के तहत उन मामलों में आगे की जांच करने की शक्ति प्रदान करना जहां आदेश की अवैधता या अनुचितता या कार्यवाही में अनियमितता के बारे में संतुष्ट होने के बाद, पुनरीक्षण प्राधिकारी सोचता है कि ऐसा करना केवल दोष को सुधारने के लिए धारा 12 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के बराबर नहीं है। ऐसी जांच करने की शक्ति जिसे अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी आवश्यक समझता है, स्पष्ट रूप से धारा 19, उप-धारा (2) के खंड (के) और (एल) द्वारा निवेश की जा सकती है, और यदि ऐसी शक्ति निवेश की जाती है तो जांच करने को अधिकृत करने वाला नियम अधिकार से बाहर नहीं है। लेकिन नियम 14-ए द्वारा "ऐसी जांच करना जिसे अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण आवश्यक समझता है" अभिव्यक्ति के उपयोग से प्रदत्त शक्ति को अधिनियम की योजना के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। यह पुनरीक्षण प्राधिकरण को बड़े पैमाने पर पूछताछ शुरू करने की शक्ति के साथ निवेश नहीं करेगा ताकि या तो उन शक्तियों को कम किया जा सके जो अधिनियम या नियमों द्वारा अन्य प्राधिकरणों के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित हैं या उन शक्तियों के प्रयोग में निहित सीमाओं को नजरअंदाज किया जा सके। न तो धारा 12 और न ही नियम 14-ए पुनरीक्षण प्राधिकारी को आम तौर पर जांच करने के लिए अधिकृत करता है जो मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा उचित रूप से की जा सकती है और मूल्यांकन को फिर से खोला जा सकता है।”

(11) हरिया चंद रतन चंद और कमपनी बनाम उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 11-ए और धारा 21 (1) के दायरे पर विचार किया। पूर्ण पीठ ने के. एम. चेरिया अब्दुल्ला और कंपनी के मामले (ऊपर) में प्रस्ताव पर भरोसा किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“धारा 11-ए निर्धारण प्राधिकारी को किसी भी ऐसे कारोबार के संबंध में पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देती है जो मूल्यांकन से बच गया था या जिसके मूल्यांकन का मूल आदेश दिए जाने के बाद उसके कब्जे में आने वाली

किसी भी निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन किया गया था। इस शक्ति का उपयोग अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण प्राधिकरण को यह देखने के लिए कि पारित आदेश उचित है या कानूनी है, निर्धारण प्राधिकरण या किसी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा तय किए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांगने का अधिकार है। इसी तरह वह कार्यवाही की वैधता या औचित्य निर्धारित करने के लिए किसी भी मूल्यांकन प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मांग सकता है। लेकिन, इससे पहले कि वह इस शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय ले, उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आदेश या कार्यवाही अनुचितता या अवैधता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है और इस निष्कर्ष के लिए उसे स्वयं को उस अभिलेख तक सीमित रखना होगा जो उसके द्वारा मांगा गया था और जो निचले प्राधिकारी के समक्ष था, क्योंकि निचले प्राधिकारी के बारे में यह माना जा सकता है कि उसने केवल उस अभिलेख पर ही अपना दिमाग लगाया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वह किसी भी नया साक्ष्य को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, वह सही कारोबार निर्धारित करने के लिए कार्यवाही और पारित आदेश की जांच करने का हकदार होगा, जिसे उस रिकॉर्ड के आधार पर कर के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए था। हालाँकि, वह पुनरीक्षण शक्तियों के कथित प्रयोग में, किसी भी ऐसे कारोबार पर कर नहीं लगा सकता है जिसका खुलासा व्यापारी द्वारा निर्धारण प्राधिकरण को नहीं किया गया था या जिसका निर्धारण के दौरान उसके द्वारा पता नहीं चला था और जो उस वर्ष की समाप्ति के बाद तीन साल की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण प्राधिकरण के ध्यान में आया है, जिससे प्रस्तावित कारोबार पर कर लगाया जाना है। यह धारा 11-ए के तहत आकलन प्राधिकरण का कार्य है और इसका उपयोग पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है।”

(12) डेपुटि कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम सेल्स टैक्स, क्विलियन, और एक अन्य बनाम धनलक्ष्मी विलास काजू कंपनी (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (1) (1) और केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1950 के नियम 33 की व्याख्या की और अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 (1)(i) के तहत पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का उपयोग कारोबार से बचने के मामले से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता है। उस निर्णय में की गई कुछ अवधारणाएँ नीचे दी गई हैं:

“धारा 15 (1) (i) के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र नियम 33 के तहत बनाए गए कर से बचने वाले कारोबार से काफी अलग है और पृथक है। उपायुक्त धारा 15 (1) (i) के तहत पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की जांच तक ही सीमित रहेगा कि मूल्यांकन का आदेश कानून के अनुसार था या नहीं। नियम 33, जो बच गए कारोबार का आकलन करने की शक्ति प्रदान करता है, आमतौर पर मूल्यांकन कार्यवाही के रिकॉर्ड के मामलों में प्रयोग किया जाता है।”

Haryana Agro Industries Corporation Ltd. v. 610
State of Haryana & others (G.S. Singhvi, J.)

(13) बीदर सहकार सककरे कारखाने लमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (उपरोक्त) मे कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 12-ए और 21 (2) की व्याख्या की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे मामले के संबंध में नहीं किया जा सकता है जो बचे हुए कारोबार का पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति के भीतर आता है। दूसरे शब्दों में, पुनरीक्षण प्राधिकारी को उन शक्तियों को कम नहीं करना चाहिए जो कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 12-ए के तहत निर्धारण प्राधिकारी के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित हैं। उपायुक्त को अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उस सीमा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अधिनियम की धारा 12-ए के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि कारोबार के निर्धारण से बचने का कारण कोई मायने नहीं रखता है। यह निरीक्षण, गलती या जानबूझकर हो सकता है। यदि रिकॉर्ड से पता चलता है कि कारोबार के किसी हिस्से के संबंध में मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, तो इसे मूल्यांकन से बचा हुआ माना जाना चाहिए। इसलिए यह एक स्पष्ट मामला होगा जो पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारण प्राधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है, चाहे कारोबार का वह हिस्सा मूल्यांकन के रिकॉर्ड में हो या बाहर। यदि, दूसरी ओर, निर्धारण प्राधिकारी ने अपने दिमाग को लागू किया है और गलती से कारोबार के किसी भी हिस्से को बाहर कर दिया है, तो निश्चित रूप से यह पुनरीक्षण प्राधिकरण के लिए मूल्यांकन का पुनरीक्षण करने का मामला होगा।

जहां निर्धारिती, एक सहकारी संस्था जिसके पास एक गन्ना का कारखाना है, ने कारखाने को गन्ने की खरीद में किए गए कटाई शुल्क को शामिल किया है, मूल्यांकन प्राधिकरण उन खर्चों को कर योग्य कारोबार में बिना अपने दिमाग को लागू करते हुए लुप्त कर दिया और उपायुक्त ने कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन को अलग कर दिया और मूल्यांकन प्राधिकरण को खरीद कारोबार, निर्धारिती द्वारा किए गए कटाई शुल्क को शामिल करके मूल्यांकन को फिर से करने का निर्देश दिया।

अभिनिर्धारित किया कि चूंकि निर्धारण प्राधिकारी ने विवादित कारोबार पर अपना दिमाग नहीं लगाया, इसलिए पुनरीक्षण प्राधिकारी अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था”।

(14) श्री जसवंत सिंह का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 40 (1) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति वैधता या औचित्य का उदारता से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि छूट गए मूल्यांकन के मामले को शामिल किया जा सके, आकर्षक लगता है लेकिन अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यदि विधानमंडल सभी प्रकार के मामलों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र और शक्ति के साथ पुनरीक्षण प्राधिकरण का निवेश करने का इरादा रखता है, तो उसने धारा 40 में एक गैर-अस्थाई खंड शामिल किया होना था। ऐसे खंड के अभाव में, हम धारा 40 (1) की व्याख्या आयुक्त या अन्य नामित अधिकारी को धारा 31 के तहत निर्धारण प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के रूप में करने में असमर्थ हैं।

(15) हमारा यह भी विचार है कि वैधता या औचित्य अभिव्यक्ति सभी प्रकार की अवैधताओं और अनियमितताओं को अपने दायरे में ले लेगी जो निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों में हो सकती हैं या जिन्होंने अंतिम निर्णय को प्रभावित किया हो सकता है, लेकिन यह छूट गए मूल्यांकन के मामलों को अपने दायरे में नहीं ले सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में निर्धारण प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कोई मूल्यांकन/निर्णय नहीं होता है।

(16) मामला एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करने योग्य है। 18 फरवरी, 1994 के नोटिसों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी न. 2 ने मुद्रित प्रोफार्मा में रिक्त स्थान भरे थे और याचिकाकर्ता से मूल्यांकन आदेश के प्रस्तावित स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण के खिलाफ कारण दिखाने का आह्वान किया था। नोटिस के मुद्रित हिस्से और हाथ से लिखे हुए रिक्त स्थान को नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया है:

“से

वाई. सी. अग्रवाल

उप आबकारी और कराधान आयुक्त इं. मुद्रित सह-संशोधन प्राधिकरण, करनाला

को

मेसर्स हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज, पानीपत,

हाथ से लिखा।

पुनः सं. 715।

विषय: मुद्रित मूल्यांकन वर्ष 1985-86 के लिए H.G.S.T अधिनियम, 1973 के अंतर्गत धारा 40 के अंतर्गत नोटिस।

नोटिस

मुद्रित।

मैं, वाई. सी. अग्रवाल, उप आबकारी और कराधान आयुक्त (निरीक्षक) कमल, जिनके पास एच.जी.एस.टी अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण की शक्तियां निहित हैं, ने स्वतः ही आपके बिक्री कर मूल्यांकन रिकॉर्ड की जांच की ताकि मूल्यांकन वर्ष 85-86 के लिए निर्धारण प्राधिकरण द्वारा _____ को पारित आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में मुझे संतुष्ट किया जा सके। उक्त अभिलेख की जांच करने के बाद, मुझे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:

कंपनी द्वारा भर्ती और सेवाओं से प्राप्त राशि पर निर्धारण प्राधिकरण के हाथों से कर की छूट लिखी गई है, जिसमें पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं मूल्यांकन आदेश के पुनरीक्षण के लिए उक्त मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे पहले कि मैं पुनरीक्षण में कोई आदेश पारित करूँ, आपको 28 फरवरी, 1994 को मेरे कार्यालय में सुबह 10.30 पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है और आपके दावे के समर्थन में लेखा पुस्तकें/स्टॉक इन्वेंट्री/पर्याप्त सबूत, यदि कोई हो, पेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

उप आबकारी और कराधान आयुक्त (I) एवं पुनरीक्षण प्राधिकरण, करनाला 18 फरवरी, 1994 "

(17) ऊपर निकाले गए नोटिस को पढ़ने से दिखता है कि धारा 40 के तहत कार्रवाई शुरू करते समय प्रतिवादी न. 2 ने प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख भी नहीं किया, अन्यथा उन्होंने संकेत दिया होता कि प्रस्तावित कार्रवाई विशेष अवैधता या निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों में अनुचितता के कारण की जा रही थी। हमारी राय में, यह एक निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी न. 2 ने यंत्रवत रूप से विवादित नोटिस जारी किए थे। बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य बनावत कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य (5) में एक संविधान पीठ ने इस अभिव्यक्ति की व्याख्या की कि यदि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (बी) में केंद्र

सरकार की राय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस धारा के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के लिए संदर्भित परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिए। माननीय न्यायमूर्तियों ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि मुद्रित प्रारूप में पारित एक आदेश प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में एक वस्तुनिष्ठ राय के गठन की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

(18) ऊपर वर्णित कारणों से, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रतिवादी न. 2 द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी3, पी3/ए और पी3/बी अधिनियम की धारा 40 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और इस तरह से रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी4 को भी इस आधार पर रद्द किया जा सकता है।

(19) उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य आधारों से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं।

(20) नतीजतन, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेशों को अवैध घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश अनुलग्नक पी3, पी3/ए और पी3/बी के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि, यदि कोई हो, तो उसे वापस कर दें।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और निर्मल सिंह के समक्ष, जे. जे.

द मौर मंडी को-ऑपरेटिव मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और एक अन्य, -उत्तरदाता

C.W.P. No. 7311 of 2000

(5) ए. आई. आर 1967 एस. सी. 295

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर, हरियाणा